रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1741] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2014/भाद्र 13, 1936
No. 1741] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2014/BHADRA 13, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2014

का.आ. 2226 (अ).—कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और अधिनियम की धारा 143, जो संपरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्यों तथा संपरीक्षा के मानकों का उपबंध करती हैं, 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त है;

और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) और उप-धारा (7) में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किसी सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी में संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए सम्यक रूप से अर्हित किसी संपरीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति का उपबंध किया गया है।

और उक्त अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5), जिसमें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा करवाने का अधिकार देने की व्यवस्था है, उन कंपनियों का विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट नहीं करती है जो विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण में है ।

और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) और उप-धारा (7) में उल्लिखित कंपनियों के लिए धारा 143 की उप-धारा (5) के उपबंधों के कार्यान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इस आदेश का नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) में ''सरकारी कंपनी के मामले में'' शब्दों से शुरू होने वाले और शब्दों ''तथा संपरीक्षा के लिए अपेक्षित'' पर खत्म होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा भागतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित किसी सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के मामले में भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अधीन संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा और ऐसे संपरीक्षक को उस रीति के प्रति निदेश देगा जिसमें कंपनी की लेखाओं को संपरीक्षित किया जाना .....अपेक्षित है ।''

[फा. सं. 1/33/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 4th September, 2014

S.O. 2226(E).—Whereas the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on the 29th August, 2013 and section 143 of the Act, which provides for the powers and duties of the auditors and auditing standards, came into force with effect from 1st April, 2014;

And whereas sub-sections (5) and (7) of section 139 of the said Act provide for power of the Comptroller and Auditor-General of India to appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor in a Government company or any other company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments;

And whereas sub-section (5) of Section 143 of the said Act which provides for power of the Comptroller and Auditor-General of India to conduct supplementary audit does not specifically cover companies 'owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments';

And whereas difficulties have arisen in implementation of the provisions of sub-section (5) of section 143 for companies referred to in sub-sections (5) and (7) of section 139 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely :—

1. Short title and commencement.—

(1) This order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Seventh Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In section 143 of the Companies Act, 2013 in sub-section (5), for the portion beginning with the words "In the case of a Government company" and ending with the words "required to be audited and", the following shall be substituted, namely :—

"In the case of a Government company or any other company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments, the Comptroller and Auditor-General of India shall appoint the auditor under sub-section (5) or sub-section (7) of Section 139 and direct such auditor the manner in which the accounts of the company are required to be audited and".

[F. No. 1/33/2013-CL.-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.